

गायत्री मंत्र के अंतिम अक्षर **त्** की व्याख्या



शिष्टाचार और सहयोग

◆ श्रीराम शर्मा आचार्य

शिष्टाचार और सहयोग

गायत्री मंत्र का आठवाँ अक्षर 'यम्' हमको सहयोग और शिष्टाचार की शिक्षा देता है—

य-यथेच्छति नरस्त्वन्यैः सदान्येभ्यस्तथा चरेत् ।

नम्रः शिष्टः कृतज्ञश्च सत्य साहाय्यवान भवेत् ॥

अर्थात् “मनुष्य दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करे, जैसा अपने लिए दूसरों से चाहता है। उसे नम्र, शिष्ट, कृतज्ञ और सच्चाई तथा सहयोग की भावना वाला होना चाहिए।

शिष्टता, सभ्यता, आदर-सम्मान और सहयोग की भावना मानव जीवन की सफलता के लिए आवश्यक बातें हैं। कौन नहीं चाहता कि दूसरे व्यक्ति उसके साथ नम्रता से बोलें, सभ्यतापूर्ण व्यवहार करें, आवश्यकता पड़ने पर उसकी सहायता करें और अगर उससे कोई भूल हो जाए तो सहिष्णुता का परिचय दें। जब हम दूसरों से अपने प्रति उत्तम व्यवहार चाहते हैं तो हमारे लिए भी उचित है कि दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें। संसार में प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होने का नियम व्यापक रूप में काम कर रहा है। हम दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करेंगे, उसका प्रभाव केवल उन्हीं पर नहीं अन्य अनेक लोगों पर भी पड़ेगा वे भी उसका अनुकरण करने का प्रयत्न करेंगे। इस प्रकार एक शृंखला भलाई या बुराई की चल पड़ती है और उसका वैसा ही प्रभाव जन-समाज पर पड़ता है।

सहयोग की आवश्यकता

शिष्टाचार और सद्व्यवहार के तत्त्व को समझने के लिए आवश्यक है कि पहले हम मानव जीवन में सहयोग की भावना की उपादेयता को समझें। मनुष्य सामाजिक प्राणी होने के कारण अपने आप पूर्ण नहीं है। मेंढक का बच्चा जन्म लेने के बाद अपने आप, अपने बाहुबल से अपना जीवन यापन कर लेता है, परंतु मनुष्य का बच्चा बिना दूसरे की सहायता के एक दिन भी जीवित नहीं रह सकता। उसे माता-पिता की, वस्त्रों की, मकान की, चिकित्सा की आवश्यकता होती है। यह चीजें दूसरों की

सहायता पर निर्भर हैं। बड़े होने पर भी उसे भोजन, वस्त्र, व्यापार, शिक्षा, मनोरंजन आदि की जिन वस्तुओं की जरूरत पड़ती है वे उसे दूसरों की सहायता से ही प्राप्त होती हैं। यही कारण है कि मनुष्य सदा ही दूसरों के सहयोग का भिखारी रहता है। यह सहयोग उसे प्राप्त न हो तो उसका जीवन निर्वाह होना कठिन है।

अपना अस्तित्व स्थिर रखने के लिए मानव प्राणी (जो कि अन्य प्राणियों की अपेक्षा बहुत कमजोर है) दूसरों का सहयोग लेता है और उन्हें अपना सहयोग देता है। रुपए को माध्यम बनाकर इस सहयोग का आदान-प्रदान समाज में प्रचलित है। एक आदमी अपने एक दिन के समय एवं श्रम से बीस सेर लकड़ी जमा करता है, दूसरा मनुष्य एक दिन के समय एवं श्रम से मिट्टी के चार घड़े बनाता है। अब घड़े वाले को लकड़ी की जरूरत है और लकड़ी वाला घड़े चाहता है तो लकड़ी वाला आधी लकड़ी घड़े वाले को दे देता है और घड़े वाला दो घड़े लकड़ी वाले को दे देता है। दूसरे शब्दों में इस परिवर्तन को यों कह सकते हैं कि आधे-आधे दिन का समय एक ने दूसरे से बदल लिया। चीजों को यहाँ से वहाँ ले जाने की कठिनाई के कारण श्रम या समय को रुपयों में परिवर्तित किया जाने लगा। इससे लोगों को सुविधा हुई। बीस सेर लकड़ी को एक रुपये में बेच दिया अर्थात् एक दिन के श्रम को एक रुपये से बदल लिया। यह एक रुपया एक मनुष्य के एक दिन का श्रम है। दूसरे मनुष्यों का श्रम भी इसी प्रकार रुपयों में परिवर्तित होता है और फिर इन रुपयों से जो चीजें खरीदी जाती हैं वह चीजें भी समय का ही मूल्य होती हैं। इस प्रकार (१) श्रम (२) वस्तु (३) रुपया। यह तीनों चीज तीन रूपों में दिखाई देते हुए भी वस्तुतः एक ही पदार्थ हैं।

दुनिया में रुपए से मनोवांछित सामग्री मिल सकती है। इसका अर्थ यह है कि हम अपना श्रम दूसरों को देते हैं और दूसरे अपना श्रम हमें देते हैं। इस लेन-देने से ही दुनिया का कारोबार चल रहा है। अर्थात् यों कहिए कि एक-दूसरे के सहयोग के सुदृढ़ आधार पर संसार की समस्त प्रणाली टिकी हुई है। यदि यह प्रणाली टूट जाए तो मनुष्य को फिर आदिम युग में लौटना पड़ेगा। गुफाओं में नंग-धड़ंग रह कर कंदमूल फलों पर निर्वाह करना पड़ेगा। इस समय तक हुई वर्तमान प्रगति का लोप हो जाएगा।

शिष्टाचार और सहयोग/२

धन अथवा श्रम का परिवर्तन-सहयोग अब भली-भाँति प्रचलित हो गया है। वह हमारे जीवन का एक अंग बन गया है। अपने श्रम एवं धन के बदले में हम विद्वानों, डॉक्टरों, वकीलों, वक्ताओं, इंजीनियरों, कलाकारों, मजदूरों का सहयोग जितने समय तक चाहें उतने समय तक ले सकते हैं। इसी प्रकार इच्छित वस्तुएँ मनचाही मात्रा में ले सकते हैं। यह सहयोग प्रणाली व्यक्तिगत आवश्यकताओं के आधार पर चलती है। इस प्रणाली से हम सब अपना जीवन धारण किए हुए हैं और सांसारिक कार्य चला रहे हैं।

सहयोग और सांसारिक उन्नति

संसार में मनुष्य ने आज तक जो आश्चर्यजनक उन्नति की है और समस्त प्राणियों को अपने वश में करके वह जो प्रकृति का स्वामी बन बैठा है उसका मूल सहयोग की प्रवृत्ति में ही है। इसके फल से उसमें एकता शक्ति, मिलन शक्ति, सामाजिकता, मैत्री की भावना आदि का आविर्भाव हुआ और उसकी शक्ति बढ़ती गई। मनुष्यों ने आपस में एक-दूसरे को सहयोग दिया, अपनी स्थूल और सूक्ष्म शक्तियों को आपस में मिलाया, इस मिलन से ऐसी-ऐसी चेतनाएँ, सुविधाएँ उत्पन्न हुईं जिनके कारण उसके उत्कर्ष का मार्ग दिन-दिन बढ़ता गया। दूसरे प्राणी जो साधारणतः शारीरिक दृष्टि से मनुष्य की अपेक्षा कहीं सक्षम थे, इस मैत्री भावना, सम्मिलन योग्यता के अभाव में जहाँ के तहाँ पड़े रहे, वे अति प्राचीनकाल में जैसे थे वैसे ही अब भी बने हुए हैं। मनुष्य की तरह उन्नति का सुविस्तृत क्षेत्र वे प्राप्त न कर सके। संघ शक्ति भी एक महान शक्ति है। उसे भले या बुरे जिस भी मार्ग में, जिस भी कार्य में लगाया जाएगा उधर ही आश्चर्यजनक सफलता के दर्शन होंगे।

मनुष्यों में भी अनेक देश, जाति, वर्ग, समूह हैं। उनमें वे ही आगे बढ़े हैं, वे ही समुन्नत हुए हैं जिनमें अपेक्षाकृत अधिक सहयोग भावना है। व्यक्तिगत रूप से विचार किया जाए तो भी हमें वे ही व्यक्ति समृद्ध मिलेंगे जिन्होंने किसी भी उपाय से दूसरों का अधिक सहयोग प्राप्त किया है। कोई भी सेठ-साहूकार बिना मुनीम, गुमास्ते, कारबदार, कारीगर, मजदूर, एजेंट आदि के सहयोग के बिना समृद्धिशाली नहीं हो सकता। चोर-उचक्के, ठग, डाकू, लूटेरे, जुआरी आदि को भी जो सफलताएँ मिलती हैं उसमें उनके दल

शिष्टाचार और सहयोग/३

की संघ शक्ति ही प्रधान कार्य करती है। बुरे लोगों द्वारा, बुरे कार्य के लिए, आपसी घनिष्ठ संघ बनाकर अवांछनीय साहसिक कार्य होते हुए हम अपने चारों ओर नित्य ही देखा करते हैं, ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं। पर साथ ही यह भी तथ्य सामने हैं कि श्रेष्ठ लोगों ने श्रेष्ठ कार्यों में बड़ी-बड़ी महान सफलताएँ आपसी संगठन के कारण प्राप्त की हैं। व्यक्तिवाद के स्थान पर समूहवाद की प्रतिष्ठापना का महत्त्व अब समस्त संसार पहचानता जा रहा है। पृथक-पृथक रूप से छोटे-छोटे प्रयत्न करने में शक्ति का अपव्यय अधिक और काम कम होता है—परंतु सामूहिक सहयोग से ऐसी अनेकों चेतनाओं और सुविधाओं की उत्पत्ति होती है जिसके द्वारा बड़े-बड़े कठिन कार्य सफल हो जाते हैं। सम्मिलित खेत, सम्मिलित रसोई, सम्मिलित व्यापार, सम्मिलित संस्था आदि अनेकों दिशाओं में सम्मिलन का क्षेत्र विस्तीर्ण हो रहा है। इसमें संदेह नहीं कि इस प्रवृत्ति की वृद्धि के साथ-साथ मानव प्राणी की सुख-शांति एवं सफलताओं में भी आश्चर्यजनक रीति से अभिवृद्धि होगी।

सहयोग से मैत्री भावना का उदय

जिन मनुष्यों में सहयोग की भावना विशेष रूप से विकसित हो जाती है, वे समस्त विश्व को आत्मीयता की दृष्टि से देखने लगते हैं। वे अनुभव करने लगते हैं कि इस जगत में अकेले व्यक्तित्व का कोई मूल्य नहीं, जो कुछ उन्नति संभव है और उसका जो कुछ उपयोग किया जा सकता है वह सहयोग से ही उत्पन्न होता है। विश्व के साथ मैत्री भाव रखने से न केवल विश्व का वातावरण न्यूनाधिक मात्रा में शुद्ध एवं परिष्कृत हो जाता है बल्कि साथ-साथ मैत्री-भाव रखने वाले को महान लाभ होता है। ऐसा व्यक्ति सब प्राणियों का सुहृद बन जाने के कारण अजातरिपु हो जाता है, वह विश्व की ओर से निर्भय हो जाता है तथा उसे अनेकों झंझट परेशान नहीं करते और न दुश्चिताएँ ही उसे मानसिक पीड़ा पहुँचाती हैं।

शत्रुत्व भाव का पोषण करने के कारण सांसारिक जीव जिन कठिनाइयों में उलझे रहते हैं, वह उनसे बिलकुल बच निकलता है, किंतु मैत्री-भावना से उसे केवल यही अभावात्मक लाभ नहीं होता। उसके तो आह्लाद में भी वृद्धि होने से उसके चित्त की अवस्था समुन्नत हो जाती है। यदि कहीं उसकी मैत्री भावना और भी अधिक प्रबल हुई तो वह

शिष्टाचार और सहयोग/४

केवल मानसिक क्षेत्र तक ही सीमित न रहेगी बल्कि वह व्यक्ति उसकी प्रेरणा से आगे चलकर समस्त प्राणियों के हित-साधन में निरत हो जाएगा और 'वसुधैव कुटुम्बकम्' के आदर्श को अपने आचरण में उतारने का प्रयत्न करेगा और तब उसका क्षुद्र 'स्व' महत् 'स्व' में विलीन हो जाएगा अर्थात् उसके क्षुद्र ममत्व और मोह के बंधन कट जावेंगे।

यदि कोई व्यक्ति अपनी अंतःशक्तियों को जाग्रत कर उनका प्रसार करता है तो समाज का एक अंग होने के कारण, उसकी उन्नति से समाज की स्थिति की ही उन्नति होती है। पुनश्च यह भी संभव है कि उसकी विकसित शक्तियों के प्रयोग द्वारा समाज की पहले से भी अधिक एवं श्रेष्ठ सेवा हो सके। अतएव व्यक्ति के समष्टि अविरोधी हित में समष्टि का हित भी अनिवार्य रूप से सन्निहित है। इसलिए हमारे लिए न केवल व्यक्तिगत साधना ही अभीष्ट है बल्कि सामूहिक अथवा राष्ट्रीय जीवन में भी हमें सक्रिय भाग लेने की आवश्यकता है। हमें न केवल स्वतः ही मुक्ति के पथ पर अग्रसर होना पड़ेगा वरन दूसरों को भी इसी पथ पर अग्रसर होने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा। तभी हमारे जीवन में पूर्णता आ सकेगी, तभी हम वास्तविक अर्थ में विश्व-मित्र हो सकेंगे और तभी हमारा सार्वभौम प्रेम फलदायक होगा। भगवान बुद्ध इस तत्त्व से पूर्णतया परिचित थे और इसीलिए उन्होंने यह इच्छा प्रकट की थी कि उनकी व्यक्तिगत मुक्ति तब तक न होगी जब तक कि विश्व का प्रत्येक जीव मुक्त न हो जावेगा।

मैत्री-भावना के प्रसार, विस्तार या उन्नयन से न केवल व्यक्ति विशेष की ही आध्यात्मिक प्रगति होती है, बल्कि उसके शांतिपूर्ण विचारों से विश्व का वातावरण भी प्रभावित होता है और उस व्यक्ति की भी उन्नति होती है जिसके कि प्रति वह व्यक्ति अपने विचारों को संचालित करता है। इस तरह उस व्यक्ति के चारों ओर एक अच्छा वातावरण तैयार हो जाता है जिससे कि उस व्यक्ति के लिए विश्व से तादात्म्यता की प्राप्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ भी उपस्थित होने लगती हैं। किंतु प्रेम-भाव से व्यवहार करने वाले मनुष्य को भी अनेकों अवसरों पर शत्रुता का व्यवहार करने वाले लोगों से सामना करना पड़ता है जिससे कि उसकी प्रगति अबाध गति से नहीं हो पाती। ऐसे अवसरों पर धैर्य नहीं खोना चाहिए और यह विश्वास रखना चाहिए कि जो लोग आज शत्रुता

शिष्टाचार और सहयोग/५

का व्यवहार करते हैं, वे आगे चलकर अवश्य ही मित्रता का व्यवहार करने वाले बन जाएँगे। जिस तरह घृणा सूचक भावों के उत्तर में घृणा के प्रयोग से घृणा की ही वृद्धि होती है उसी प्रकार प्रेम और मैत्री भाव के बारंबार प्रयोग होने से प्रेम-भाव की वृद्धि होती है। इस तरह उस व्यक्ति का वास्तविक आत्मविकास होता है और तब वह हमारी तथा हमारी प्रेम पथ की श्रेष्ठता आत्मविकास के कारण अनुभव करने लगता है। वह नत-मस्तक हो जाता है और फिर शत्रु से मित्र भी बन जाता है। किंतु यह तब ही संभव है जब कि हम मनुष्य की आसुरी प्रकृति पर उसकी दैवी प्रकृति की अंतिम विजय में विश्वास रखें। जो यह विश्वास नहीं रखता उसका सदाचारी होना बड़ा कठिन प्रतीत होता है।

यह विश्वास कि प्रत्येक व्यक्ति में जो अंतर्द्वंद्व होता रहता है उसमें अंतिम विजय उसकी दैवी प्रकृति की ही होगी अर्थात् यह दृढ़ धारणा कि प्रत्येक व्यक्ति सत्योन्मुख है, हमें घृणा-हीन बनाए रखने के लिए अत्यावश्यक है। इसलिए यदि हम दूरदर्शिता खोकर किसी मनुष्य की वर्तमान परिस्थिति से ही उसके भले या बुरे होने की धारणा बनाने की भूल करेंगे और इस तरह उसे उसकी भावी उन्नत स्थिति के प्रकाश में भी देखना स्वीकार न करेंगे तो यह निश्चित ही है कि हम अवश्य ही धोखा खाएँगे। अतः यदि हम यथार्थवादी हैं तो हमें स्मरण रखना चाहिए कि आदर्शोन्मुख यथार्थवाद ही हमारी जीवन समस्याओं का एक मात्र हल है इसके अतिरिक्त इस तरह के विश्वास से हमको एक और प्रकार की भी सहायता प्राप्त होती रहती है। यदि यह विश्वास हमारे गले उतर जाए तो यह निश्चित है कि यह विश्वास हमें अंतिम विजय की सदा याद दिलाता रहेगा और हमें उत्साह, स्फूर्ति, शक्ति और धैर्य प्रदान करता रहेगा। सात्विक व्यक्ति के लिए सत्य की अंतिम विजय में विश्वास रखना परमावश्यक है क्योंकि बिना इस विश्वास के धैर्य, उत्साह होना कठिन है।

सहयोग और शिष्टाचार का संबंध

सहयोग के महत्त्व को तो प्रायः सभी लोग स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि वर्तमान समय में मनुष्य की जीवन-निर्वाह-प्रणाली और सामाजिक व्यवस्था ऐसी पेचीदा हो गई है कि एक मनुष्य बिना दूसरे मनुष्यों के सहयोग के एक दिन भी नहीं चल सकता। पर इस बात को बहुत कम

शिष्टाचार और सहयोग/६

लोग जानते हैं कि वास्तविक सहयोग प्राप्त करने का क्या उपाय है? सहयोग की वृद्धि करने और उसे स्थाई बनाने का मुख्य साधन उत्तम व्यवहार है और उत्तम व्यवहार का एक बहुत बड़ा अंग शिष्टाचार है। मनुष्य शिष्टाचार के द्वारा ही दूसरे व्यक्तियों को अपनी सभ्यता और संस्कृति का परिचय देकर उनको अपना मित्र, सहायक, हितैषी या अनुगामी बना सकता है।

एक महापुरुष का कथन है—“मुझे बोलने दो, मैं विश्व को विजय कर लूँगा।” सचमुच शिष्टाचार युक्त मधुर वाणी से अधिक कारगर हथियार और कोई इस दुनियाँ में नहीं है। जिस आदमी में ठीक तरह उचित रीति से बातचीत करने की क्षमता है समझिए कि उसके पास एक बहुमूल्य खजाना है। दूसरों पर प्रभाव डालने का प्रधान साधन वाणी ही है, लेनदेन, व्यवहार, आचरण, विद्वत्ता, योग्यता आदि का प्रभाव डालने के लिए समय की, अवसर की, क्रियात्मक प्रयत्न की आवश्यकता होती है; पर वार्तालाप एक ऐसा उपाय है जिसके द्वारा बहुत ही स्वल्प समय में दूसरों को प्रभावित किया जा सकता है।

बातचीत करने की कला में जो निपुण है वह असाधारण संपत्तिवान है। योग्यता का परिचय वाणी के द्वारा प्राप्त होता है। जिस व्यक्ति का विशेष परिचय मालूम नहीं है उससे कुछ देर बातचीत करने के उपरांत जाना जा सकता है कि वह कैसे आचरण का है, कैसे विचार रखता है, कितना योग्य है, कितना ज्ञान और अनुभव रखता है। जो दूसरों के ऊपर अपनी योग्यता प्रकट करता है ऐसे प्रमुख मनुष्य को बहुत ही सावधानी के साथ बरता जाना चाहिए। कई ऐसे सुयोग्य व्यक्तियों को हम जानते हैं जो परीक्षा करने पर उत्तम कोटि का मस्तिष्क, उच्च हृदय और दृढ़ चरित्र वाले साबित होंगे, परंतु उनमें बातचीत करने का शऊर न होने के कारण सर्वसाधारण में मूर्ख समझे जाते हैं और उपेक्षणीय दृष्टि से देखे जाते हैं। उनकी योग्यताओं को जानते हुए भी लोग कुछ लाभ उठाने की इच्छा नहीं करते।

बातचीत करने की कला का महत्त्व

अनेक व्यक्ति ऐसे भी पाए जाते हैं जो इतने योग्य नहीं होते जितना कि सब लोग उन्हें समझते हैं, पर वाणी की कुशलता के द्वारा वे लोग

दूसरों के मन पर अपनी ऐसी छाप बिठाते हैं कि सुनने वाले मुग्ध हो जाते हैं। कई बार योग्यता रखने वाले लोग असफल रह जाते हैं। प्रकट करने के साधन ठीक हों तो कम योग्यता को ही भले प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है और उसके द्वारा बहुत काम निकाला जा सकता है। विद्युत विज्ञान के आचार्य जे० बी० राड का कथन है कि उत्पादन केंद्र में जितनी बिजली उत्पन्न होती है उसका दो-तिहाई भाग बिना उपयोग के ही बर्बाद हो जाता है, पावर हाउस में उत्पन्न हुई बिजली का एक तिहाई भाग ही काम में आता है। वे कहते हैं कि अभी तक जो यंत्र बने हैं वे अधूरे हैं इसलिए आगे ऐसे यंत्रों का आविष्कार होना चाहिए जो उत्पादित बिजली की बरबादी न होने दें, जिस दिन इस प्रकार के यंत्र तैयार हो जावेंगे तब बिजलीघरों की शक्ति तिगुनी बढ़ जाएगी, अर्थात् खर्च तिहाई रह जाएगा।

करीब-करीब ऐसी ही बरबादी मानवीय योग्यताओं की होती है। जिस तरह अधूरे विद्युत यंत्रों के कारण दो-तिहाई बिजली नष्ट हो जाती है, बातचीत की कला से अनभिज्ञ होने के कारण दो-तिहाई से भी अधिक योग्यताएँ निकम्मी पड़ी रहती हैं। यदि इस विद्या की जानकारी हो तो तिगुना कार्य संपादन किया जा सकता है। जितनी सफलता आप प्राप्त करते हैं उतनी तो तिहाई योग्यता रखने वाला भी प्राप्त कर सकता है। आप अपनी शक्तियाँ बढ़ाने के लिए जो परिश्रम करें किंतु उनसे लाभ उठाने में असमर्थ रहें तो वह उपार्जन किस काम का? उचित यह है कि जितना कुछ पास में है उसका ठीक ढंग से उपयोग किया जाए। जिन्हें मूर्ख कहा जाता है या मूर्ख समझा जाता है वास्तव में वे उतने अयोग्य नहीं जितना कि विचार किया जाता है। उनमें भी बहुत अंशों तक बुद्धिमत्ता होती है, परंतु जिस अभाव के कारण उन्हें अपमानित होना पड़ता है वह अभाव है—“बातचीत की कला से परिचित न होना।”

मनोगत भावों को भले प्रकार, उचित रीति से प्रकट कर सकने की योग्यता एक ऐसा आवश्यकीय गुण है जिसके बिना जीवन विकास में भारी बाधा उपस्थित होती है। आपके मन में क्या विचार है, क्या इच्छा करते हैं, क्या सम्मति रखते हैं, जब तक यह प्रकट न

शिष्टाचार और सहयोग/८

हो तब तक किसी को क्या पता चलेगा? मन ही मन कुड़कुड़ाने से दूसरों के संबंध में भली-बुरी कल्पनाएँ करने से कुछ फायदा नहीं। आपको जो कठिनाई है, जो शिकायत है, जो संदेह है उसे स्पष्ट रूप से कह दीजिए, जो सुधार या परिवर्तन चाहते हैं उसे भी प्रकट कर दीजिए। इस प्रकार अपनी विचारधारा को जब दूसरों के सामने रखेंगे और अपने कथन का औचित्य साबित करेंगे तो मनोनुकूल सुधार हो जाने की बहुत आशा है।

भ्रम का, गलतफहमी का सबसे बड़ा कारण यह है कि झूठे संकोच की झिझक के कारण लोग अपने भावों को प्रकट नहीं करते, इसलिए दूसरा यह समझता है कि आपको कोई कठिनाई या असुविधा नहीं है, जब तक कहा न जाए तब तक दूसरा व्यक्ति कैसे जान ले कि आप क्या सोचते हैं? आप क्या चाहते हैं? अप्रत्यक्ष रूप से सांकेतिक भाषा में विचारों को जाहिर करना केवल भावुक और संवेदनशील लोगों पर प्रभाव डालता है, साधारण कोटि के हृदयों पर उसका बहुत ही कम असर होता है, अपनी निजी गुत्थियों में उलझे रहने के कारण, दूसरों की सांकेतिक भाषा को समझने में वे या तो समर्थ नहीं होते या फिर थोड़ा-बहुत जरूरी कामों की ओर पहले ध्यान दिया जाता है। संभव है आपकी कठिनाई या इच्छा को कम जरूरी समझकर पीछे डाला जाता हो, फिर के लिए टाला जाता हो। यदि सांकेतिक भाषा में मनोभाव प्रकट करने से काम चलता न दिखाई पड़े तो अपनी बात को स्पष्ट रूप से नग्न भाषा में कह दीजिए, उसे भीतर ही भीतर दबाए रह कर अपने को अधिक कठिनाई में मत डालते जाइए।

संकोच उन बातों के कहने में होता है जिनमें दूसरों की कुछ हानि की या अपने को किसी लाभ की संभावना होती है। ऐसे प्रस्ताव को रखते हुए झिझक इसलिए होती है कि अपनी उदारता, सहनशीलता को धब्बा लगेगा, नेकनीयता पर आक्षेप किया जाएगा या क्रोध का भाजन बनना पड़ेगा। यदि आपका पक्ष उचित, सच्चा और न्यायपूर्ण है तो इन कारणों से झिझकने की कोई आवश्यकता नहीं है, हाँ अनीतियुक्त माँग कर रहे हों, तो बात दूसरी है। यदि अनुचित या अन्याय युक्त आपकी माँग नहीं है तो अधिकारों की रक्षा के लिए निर्भयता पूर्वक अपनी माँग को प्रकट करना चाहिए। हर मनुष्य का पुनीत कर्तव्य है कि मानवता के

शिष्टाचार और सहयोग/९

अधिकारों को प्राप्त करे और उनकी रक्षा करे। केवल व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं वरन इसलिए भी कि अपहरण और कायरता इन दोनों घातक तत्त्वों का अंत हो।

सच्ची और खरी बात कहिए, पर नम्रता के साथ

षट्परिपु आध्यात्मिक संपत्तियों को दबाते चले जाते हैं, असुरत्व बढ़ रहा है और सात्विकता न्यून होती जा रही है। आत्मा क्लेश पा रही है और शैतानियत का शासन प्रबल होता आता है। क्या आप इस आध्यात्मिक अन्याय को सहन ही करते रहेंगे। यदि करते रहेंगे तो निःस्संदेह पतन के गहरे गर्त में जा गिरेंगे। ईश्वर ने सदगुणों की, सात्विक वृत्तियों की, सद्भावनाओं की अमानत आपको दी है और आदेश दिया है कि यह पूँजी सुरक्षित रूप से आपके पास रहनी चाहिए। यदि उस अमानत की रक्षा न की जा सकी और चोरों ने, पापों ने उस पर कब्जा कर लिया तो ईश्वर के सम्मुख जबाबदेह होना पड़ेगा, अपराधी बनना पड़ेगा।

ठीक इसी तरह बाह्य जगत में मानवीय अधिकारों की अमानत ईश्वर ने आपके सुपुर्द की है। इसको अनीतिपूर्वक किसी को मत छीनने दीजिए। गौ का दान कसाई को नहीं वरन ब्राह्मण को होना चाहिए। अपने जन्म सिद्ध अधिकारों को यदि बलात छिनने देते हैं तो यह गौ का कसाई को दान करना हुआ। यदि स्वेच्छापूर्वक सत्कार्यों में अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं तो वह अपरिग्रह है, त्याग है, तप है, आत्मा-विश्वात्मा का एक अंग है। एक अंश में जो नीति या अनीति की वृद्धि होती है वह संपूर्ण विश्वात्मा में पाप-पुण्य को बढ़ाती है। यदि आप संसार में पुण्य की, सदाशयता की, समानता की वृद्धि चाहते हैं तो इसका आरंभ अपने ऊपर से ही कीजिए। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए जी तोड़ कोशिश कीजिए। इसके मार्ग में जो झूठा संकोच बाधा उपस्थित करता है, उसे साहसपूर्वक हटा दीजिए।

दबंग रीति से, निर्भयतापूर्वक खुले मस्तिष्क से बोलने का अभ्यास करिए। सच्ची और खरी बात कहने की आदत डालिए। जहाँ बोलने की जरूरत है वहाँ अनावश्यक चुप्पी मत साधिए। ईश्वर ने वाणी का पुनीत दान मनुष्य को इसलिए दिया है कि अपने मनोभावों को भली प्रकार प्रकट करें, भूले हुआओं को समझावें, भ्रम का निवारण करें और अधिकारों की रक्षा

शिष्टाचार और सहयोग/१०

करें। आप झेंपा मत कीजिए अपने को हीन समझने या मुँह खोलते हुए डरने की कोई बात नहीं है। धीरे-धीरे गंभीरतापूर्वक, मुस्कराते हुए, स्पष्ट स्वर में, सद्भावना के साथ बातें किया कीजिए और खूब किया कीजिए, इससे आपकी योग्यता बढ़ेगी, दूसरों को प्रभावित करने में सफलता मिलेगी, मन हलका रहेगा और सफलता का मार्ग प्रशस्त होता जाएगा।

ज्यादा बक-बक करने की कोशिश मत कीजिए। अनावश्यक, अप्रासंगिक अरुचिकर बातें करना, अपनी के आगे किसी की सुनना ही नहीं, हर घड़ी चबर-चबर जीभ चलाते रहना, बेमौके बेसुरा राग अलापना, अपनी योग्यता से बाहर की बातें करना, शेखी बघारना, वाणी के दुर्गुण हैं। ऐसे लोगों को मूर्ख, मुंहफट्ट और असाध्य समझा जाता है। ऐसा न हो कि अधिक वाचालता के कारण इसी श्रेणी में पहुँच जाएँ। तीक्ष्ण दृष्टि से परीक्षण करते रहा कीजिए कि आपकी बात को अधिक दिलचस्पी के साथ सुना जाता है या नहीं, सुनने में लोग ऊबते तो नहीं, उपेक्षा तो नहीं करते। यदि ऐसा हो तो वार्तालाप की त्रुटियों को ढूँढ़िए और उन्हें सुधारने का उद्योग कीजिए अन्यथा बक्की-झक्की समझकर लोग आपसे दूर भागने लगेंगे।

अपने लिए या दूसरों के लिए जिसमें कुछ हित साधन होता हो ऐसी बातें करिए। किसी उद्देश्य को लेकर प्रयोजनयुक्त भाषण कीजिए अन्यथा चुप रहिए। कडुवी, हानिकारक, दुष्ट भावों को भड़काने वाली, भ्रमपूर्ण बातें मत कहिए। मधुर, नम्र, विनययुक्त, उचित और सद्भावना युक्त बातें करिए। जिससे दूसरों पर अच्छा प्रभाव पड़े, उन्हें प्रोत्साहन मिले, ज्ञान वृद्धि हो, शांति मिले तथा सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा हो। ऐसा वार्तालाप एक प्रकार का वाणी का तप है।

दूसरों से वार्तालाप करने के विशेष नियम

हमारी बातचीत समयानुकूल और प्रभावशाली हो और उससे कोई उद्देश्य पूरा हो सके इसके लिए सावधानी की बड़ी भारी आवश्यकता है। जिन लोगों में प्रकृति ने यह गुण स्वाभाविक रूप से दिया है उनकी तो कोई बात नहीं, पर अन्य लोगों को अपने से श्रेष्ठ व्यक्तियों की संगति और शिक्षाप्रद पुस्तकों से भी इन बातों को सीखना चाहिए और प्रयत्नपूर्वक उनका अभ्यास करना चाहिए। इस संबंध में कुछ नियम नीचे दिए जाते हैं—

शिष्टाचार और सहयोग/११

(१) जिस तरह से तुम अच्छी किताबों को केवल अपने लाभ के लिए चुनते हो उसी तरह से साथी या समाज भी ऐसा चुनो जिससे कि तुम्हें कुछ लाभ हो। सबसे अच्छा मित्र वही है कि जिससे अपना किसी तरह से सुधार हो अथवा आनंद की वृद्धि हो। यदि उन साथियों से तुम्हें कुछ लाभ नहीं हो सकता तो तुम उनके आनंद और सुधार की वृद्धि करने का प्रयत्न करो और यदि उन साथियों से तुम कुछ लाभ नहीं उठा सकते या उनको तुम स्वयं कुछ लाभ नहीं पहुँचा सकते तो तुम तुरंत उनका साथ छोड़ दो।

(२) अपने साथियों के स्वभाव का पूरा ज्ञान प्राप्त करो। यदि वे तुम से बड़े हैं तो तुम उनसे कुछ न पूछो और वे जो कहें उसे ध्यानपूर्वक सुनो। यदि छोटे हैं तो तुम उनको कुछ लाभ पहुँचाओ।

(३) जब परस्पर की बातचीत नीरस हो रही हो तो तुम कोई ऐसा विषय छेड़ दो जिस पर सभी कुछ न कुछ बोल सकें और जिससे सभी मनुष्यों की आनंद वृद्धि हो। परंतु तब तक ऐसा करने के अधिकारी नहीं हो जब तक तुमने नया विषय आरंभ करने के पहले कुछ न कुछ नये विषय का ज्ञान प्राप्त न कर लिया हो।

(४) जब कुछ नई महत्त्वपूर्ण अथवा शिक्षाप्रद बात कही जाए तब उसे अपनी नोटबुक में दर्ज कर लो। उसका सार अंश रक्खो और कूड़ा-कचरा फेंक दो।

(५) तुम किसी भी समाज में अथवा साथियों के संग आते-जाते समय पूरे मौनव्रती मत बनो। दूसरों को खुश करने का और उनको शिक्षा देने का प्रयत्न अवश्य करो। बहुत संभव है कि तुमको भी बदले में कुछ आनंदवर्द्धक अथवा शिक्षाप्रद सामग्री मिल जाए। जब कोई कुछ बोलता हो तो तुम आवश्यकता पड़ने पर भले ही चुप रहा करो, परंतु जब सब लोग चुप हो जाते हैं तब तुम सबों की शून्यता को भंग करो। सब तुम्हारे कृतज्ञ होंगे।

(६) किसी बात का निर्णय जल्दी में मत करो, पहले उसके दोनों पक्षों का मनन कर लो। किसी भी बात को बार-बार मत कहो।

(७) इस बात को अच्छी तरह से याद रक्खो कि तुम दूसरों की त्रुटियों, दोषों को जिस दृष्टि से देखते हो वे भी उसको उसी दृष्टि से तो नहीं देखते। इसलिए समाज के सम्मुख किसी मनुष्य के दोषों पर

शिष्टाचार और सहयोग/१२

स्वतंत्रतापूर्ण आक्षेप, कटाक्ष अथवा टीका-टिप्पणी करने का तुमको अधिकार नहीं है।

(८) बातचीत करते समय अपनी बुद्धिमत्ता दिखाने का व्यर्थ प्रयत्न मत करो। यदि तुम बुद्धिमान हो तो तुम्हारी बातों से मालूम हो सकता है। यदि तुम प्रयत्न करके हमेशा अपनी बुद्धिमानी प्रकट करना चाहोगे तो संभवतः तुम्हारी बुद्धिहीनता अधिकाधिक प्रकट होती जाएगी।

(९) किसी की बात यदि तुम्हें अपमानजनक या किसी तरह से गुस्ताखी की मालूम हो तो भी कुछ देर तक चुप रहने का प्रयत्न करो। ऐसा भी हो सकता है कि वह बात तुम्हारे स्वभाव के कारण तुम्हें खराब मालूम हो, परंतु सब लोगों को अच्छी मालूम हो और यदि बात ऐसी ही हुई तो तुम्हें कुछ देर तक चुप रहने के लिए कभी भी पछताना नहीं पड़ेगा, बल्कि तुम धर्य का एक नया पाठ सीखते जाओगे।

(१०) तुम स्वयं स्वतंत्रतापूर्वक तथा सरलतापूर्वक बातचीत करो और दूसरों को भी ऐसा ही करने दो। अमूल्य शिक्षा को अल्प समय में प्राप्त करने का इससे बढ़कर साधन संसार में नहीं है।

मिलने-जुलने का शिष्टाचार

किसी से भेंट करने के लिए जाते समय आपको उसके सुभीते का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। बिना किसी अनिवार्य आवश्यकता के, दिन निकलते ही, भोजन के समय, ठीक दोपहरी में या अधिक रात गए, किसी के यहाँ न जाना चाहिए। किसी के घर बिना काम बार-बार जाना भी उचित नहीं है। यद्यपि घनिष्ठ मित्र एक-दूसरे के यहाँ दिन में कई बार बिना संकोच जाते हैं, पर इस अवसर पर भी शिष्टाचार का ध्यान रखना पड़ता है। भेंट करते समय भेंट करने वाले के पद अथवा अवस्था के अनुसार उचित अभिवादन अवश्य करना चाहिए। बड़े मनुष्यों को छोटे के अभिवादन करते समय रुकना चाहिए। अभिवादन करते समय कर्त्ता द्वारा जो शब्द प्रयोग किया जाए, बराबर वालों में उसका उत्तर उसी शब्द द्वारा दिया जाना चाहिए। बड़े लोगों की ओर से उत्तर में प्रसन्न रहो आदि शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। भेंट होने पर चुपचाप एकदूसरे का मुँह देखते रहना सभ्यता की निशानी नहीं है। ऐसी अवस्था में तुरंत कोई न कोई आवश्यक बात छेड़ देनी चाहिए।

शिष्टाचार और सहयोग/१३

किसी के यहाँ भेंट करने के लिए जाते हुए हमें उसके समय का भी अवश्य ध्यान रखना चाहिए। कार्यव्यस्त आदमियों के यहाँ समय की बड़ी कमी होती है, इसलिए वहाँ बिना काम अधिक देर तक नहीं ठहरना चाहिए। जहाँ तक हो सके कम से कम समय में अपनी बात समाप्त करके उन्हें दूसरे कार्यों के लिए अग्रसर होने का अवसर देना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति बातचीत में उदासीनता शिथिलता या उकताहट दिखाए तो समझना चाहिए कि उसे अब अधिक बात करने का सुभीता नहीं है। इसलिए ऐसा संकेत पाकर वहाँ से जल्दी अपनी बात समाप्त करके चलने का उपक्रम करना चाहिए। चलते समय यदि आप से कुछ देर और बैठने का आग्रह किया जाए तो कुछ समय पश्चात आज्ञा लेकर वहाँ से चलना चाहिए। दिन में एक से अधिक बार भेंट होने पर हर बार मिलने पर अभिवादन किया जा सकता है। जहाँ तक हो अभिवादन के पश्चात एक आध वाक्य द्वारा मिलने वाले का कुशल मंगल पूछ लेना चाहिए।

पश्चिमी सभ्यता के अनुसार किसी के द्वार पर जाकर पुकारने के लिए सांकल खटखटाने या दरवाजा भड़काने का रिवाज है, किंतु हमारे यहाँ इस प्रकार की बात अच्छी नहीं लगती। किसी के दरवाजे पर जाकर बार-बार जोर-जोर से पुकारने वाले को किसी के आने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। मकान के अंदर जाकर भेंटकर्ता को उसी कमरे में जाकर बैठना चाहिए जो इस कार्य के लिए नियत हो। पुरुषों को अनुपस्थिति में किसी के घर जाकर बैठना संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। जहाँ पदों का रिवाज न हो वहाँ अनुमति लेकर स्त्रियों की उपस्थिति में भी जाकर बैठा जा सकता है। घर में तभी प्रवेश करना चाहिए जब वहाँ घर का कोई न कोई सदस्य उपस्थित हो। किसी के घर में बैठ कर उसके कागज-पत्र, पुस्तकें या अन्य पदार्थों को उलट-पुलट करके रखना या प्रत्येक वस्तु को घूर-घूर कर देखना सर्वथा अनुचित है।

किसी बड़े आदमी से मिलने को जाते समय आपको इस बात का पता लगा लेना चाहिए कि उसे किस समय आपसे मिलने का अवकाश है। यदि पहले से मिलने का समय निर्धारित कर दिया जाए तो और अच्छा है। नियत समय पर जाकर पहले आपको अपने आने की सूचना चिट लिखकर या जवानी किसी आदमी के द्वारा उक्त सज्जन के पास

शिष्टाचार और सहयोग/१४

पहुँचा देनी चाहिए। बुलाए जाने पर उसके पास जाकर आपको उसकी अनुमति से उपयुक्त आसन ग्रहण करना चाहिए और संक्षेप में अपनी भेंट का तात्पर्य समझा देना चाहिए। कार्य हो जाने पर केवल थोड़ी देर बैठकर पूर्वोक्त महानुभाव से आज्ञा लेकर चला आना उचित है।

जिस तरह किसी के यहाँ बार-बार जाना अनुचित है, उसी तरह किसी के यहाँ कभी न जाना भी उचित नहीं है। किंतु यदि आपको लगे कि आपके आने से गृह-स्वामी को खेद होता है तो वहाँ कभी नहीं जाना चाहिए। गोस्वामी जी ने कहा है।

आवत ही हरसे नहीं, नैनन नहीं सनेह।

तुलसी वहाँ न जाइए, कंचन बरसे मेह ॥

किसी के साथ बाहर सड़क पर खड़े होकर घंटों बातें करना उचित नहीं है। यदि आपको किसी लंबे विषय पर आवश्यक बात करनी हो तो रास्ते में भेंट होने पर कुछ दूर साथ चलकर बात समाप्त की जा सकती है, पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी को आपकी बात सुनने के लिए ही फर्लांगों और मीलों का चक्कर न काटना पड़े।

मुलाकाती के जाने के पूर्व आपको पान, सुपाड़ी या इलायची आदि द्वारा उसका आदर करना चाहिए और जिस समय वह जाने लगे तो उसकी योग्यता और परिस्थिति के अनुसार खड़े होकर द्वार तक जाकर या १०-२० कदम साथ चलकर और उसे अभिवादन करके आदरपूर्वक विदा देनी चाहिए। इस प्रकार शिष्टाचार का ध्यान रखने से मनुष्य सभ्य कहलाने का अधिकारी बनता है।

शिष्टाचार के कुछ साधारण नियम

अंग्रेजी में एक कहावत है—“मैनर मेक्स ए मैन।” अर्थात् मनुष्य का परिचय उसके शिष्टाचार, बैठने, उठने, बोलने, खाने, पीने, के ढंग से मिलता है। खेद का विषय है कि आजकल शिष्टाचार की भावना घटती जाती है और खासकर अनेक नवयुवकों में, उच्छृंखलता की भावना को प्रश्रय मिल रहा है। जब शिक्षित कहलाने वालों की यह प्रवृत्ति है तो सर्व साधारण पर उसका प्रभाव और भी बुरा पड़ना स्वाभाविक है। इस परिस्थिति पर असंतोष व्यक्त करते हुए एक विद्वान ने उचित ही कहा है—

शिष्टाचार और सहयोग/१५

“हम बैठते हैं तो पसर कर। बोलते हैं तो चिंघाड़कर। पान खाते हैं तो पीक कुरते पर। खाने बैठें तो सवा गज धरती पर टुकड़े और सब्जी फैला दी। धोती पहनी तो कुरता बहुत नीचा हो गया। कुरता मैला तो धोती साफ। बिस्तर साफ तो खाट ढीली। कमरे में झाड़ू तो दरवाजे पर कूड़ा पड़ा है। चलते हैं तो चीजें गिराते हुए। उठते हैं तो दूसरों को धकियाते हुए—ये सब तरीके (मैनर) ही किसी को संस्कृत या सभ्य बनाते हैं। हम चाहे घर पर हों या समाज में, हमें चाहिए कि इनका ध्यान रखें।”

इसी प्रकार की और सामाजिक त्रुटियों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है, जैसे पुस्तकें उधार लेकर वापस न करना, वायदे पर आदमी को घर बुलाना और स्वयं घर से गायब रहना, दुकानदार से वस्तुएँ उधार खरीद कर दाम देना भूल जाना, जब व्यापार चल निकले तो खराब निम्नकोटि का माल बनाकर दाम पूरा चार्ज करना, पत्रों का जबाव न देना, अपने रोजाना के काम पर देरी से आना, दफ्तर की अनेक चीजें जैसे कलम, रोशनाई, निब, पेंसिल, कागज, कारबन, पैकिंग, बक्स इत्यादि को चोरी से घर ले जाकर व्यक्तिगत काम में ले लेना, मुँह से कुछ कहकर आचरण में कुछ दूसरा ही कार्य करना—ये ऐसी अशोभनीय बातें हैं जो मानवता की उच्च प्रतिष्ठा के किसी भी प्रकार अनुकूल नहीं हैं। मानवता की रक्षा के लिए इनका तुरंत परित्याग कर देना चाहिए।

हम यह समझते हैं कि भारतीय और यूरोपियन या मुसलमानी समाजों में बहुत-सी भिन्नताएँ हैं और इसलिए हम किसी दूसरे देश के शिष्टाचार के नियमों की पूरी नकल नहीं कर सकते। साथ ही यह भी सत्य है कि वैज्ञानिक आविष्कारों और आवागमन की अभूतपूर्व वृद्धि ने वर्तमान परिस्थितियों को इतना बदल दिया है कि हमारे देश की प्राचीन शिष्टाचार की पद्धति भी अनेक अंशों में असामयिक हो गई है। इसलिए हमको वर्तमान परिस्थिति के अनुकूल और मनुष्यता की रक्षा करने वाले नियमों पर आचरण करना चाहिए। स्मरण रखो कि जिसमें सभ्यता, स्वच्छता नहीं, जो अपने क्षुद्र आवेगों को वश में नहीं रख सकता, वह कुलीन नहीं कहला सकता, चाहे उसका जन्म किसी बड़े घराने में ही क्यों न हुआ हो। इसलिए जो लोग समाज में आदर और प्रतिष्ठा की दृष्टि

शिष्टाचार और सहयोग/१६

से देखे जाने की अभिलाषा रखते हैं उन्हें सभ्यता, स्वच्छता और शिष्टाचार के नियमों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। शिष्टाचार के असंख्य रूप हैं, इसलिए इस संबंध में कुछ संक्षिप्त बातें ही यहाँ दी जाती हैं—

१—सम्माननीय व्यक्ति, गुरुजन आदि के मिलते ही हाथ-जोड़कर या पैर छूकर या जैसा दैनिक नियम हो उसके अनुसार आदर प्रकट करो।

२—सम्माननीय व्यक्ति को अपने से सम्मानित आसन पर बैठाओ। उनके खड़े रहने पर खुद बैठे रहना, आसन न छोड़ना, उच्चासन पर बैठना अविनय है।

३—सम्माननीय व्यक्ति के पास शिष्टता से बैठो। टांग पसारना, बैठने में कुछ शान बघारते हुए आराम तलब बनना, आदि ठीक नहीं।

४—सम्माननीय व्यक्तियों के सामने उनके कारण के सिवाय, अपने ही कारण से किसी दूसरे आत्मीय व्यक्ति पर क्रोध प्रकट करना, गालियाँ बकना ठीक नहीं। ऐसा काम आवश्यक ही हो तो यथासाध्य उनके उठकर चले जाने पर करना चाहिए। उनके सामने दूसरे पर अधिकार प्रदर्शन भी यथाशक्य कम करो।

५—उपर्युक्त शिष्टाचार अपने घर आए हुए जनसमूह के सामने भी करना चाहिए जैसे जब चार आदमी बैठे हों तब अपने आदमी को भी गाली देना आदि ठीक नहीं।

६—अपने साथियों का भी यथासाध्य शिष्टाचार करो।

७—अपने से छोटों के शिष्टाचार का ठीक प्रत्युत्तर दो।

८—खास जरूरत के बिना सदा मिठास से बोलो, आज्ञा में भी यथायोग्य शब्द और स्वर की कोमलता होना चाहिए।

९—रेलगाड़ी आदि में दूसरों की उचित सुविधा का ध्यान रखो।

१०—गुरुजनों, महिलाओं तथा जो लोग धूम्रपान नहीं करते उनके सामने खासकर पास से धूम्रपान मत करो।

११—साधारण दृष्टि से जो काम शारीरिक श्रम का हो वह काम अगर तुम्हारे बड़े करते हों तो तुम उस काम को ले लो या उसमें शामिल हो जाओ।

१२—प्रवास में महिलाओं की सुविधा का पूरा ख्याल रखो।

१३—दूसरों का नंबर मारकर आगे मत बढ़ो। यह बात टिकट लेने, पानी भरने आदि के बारे में ही है। आत्मविश्वास की दृष्टि से नहीं।

शिष्टाचार और सहयोग/१७

१४—साइकिल से गिर पड़ने आदि किसी के संकट में हँसो नहीं। दुर्घटना में सहानुभूति प्रकट कर सको तो करो नहीं तो कम से कम चुप जरूर रहो।

१५—साधारणतः अपने मुँह से अपनी तारीफ मत करो। न अपने कामों का झूठा और अतिशयोक्ति पूर्ण अविश्वसनीय वर्णन करो।

१६—आपसी बातचीत में जहाँ बोलने की जरूरत हो वहीं बोलो, बीच-बीच में इस प्रकार मत कूदो जिसे सुनने वाले नापसंद करते हों।

शिष्टाचार और सद्भावना

शिष्टाचार का अर्थ बहुत से व्यक्ति केवल ऊपरी आवभगत से ही लिया करते हैं, पर ऐसी प्रवृत्ति बहुत कम उपयोगी होती है। शिष्टाचार की कृत्रिमता दूसरे व्यक्तियों से छिप नहीं सकती और इससे उनके हृदय में वह मैत्री अथवा आत्मीयता का भाव जागृत नहीं होता जो वास्तव में सहयोग की शक्ति को उत्पन्न करता है और हमारे जीवन को लाभान्वित बनाता है। इसलिए हमारे व्यवहार में साधारण शिष्टाचार के नियमों का पालन करने के साथ ही सद्भावना का होना अत्यावश्यक है। इसके बिना दिखावटी शिष्टाचार अनेक समय दूसरे व्यक्ति के मन में ऐसा भाव उत्पन्न करता है कि हम किसी स्वार्थ या अन्य गुप्त अभिसंधि के कारण यह दिखावा कर रहे हैं।

हम परस्पर संदेह और संशय करके तो भय को ही उत्पन्न करेंगे और एक-दूसरे का ह्रास और अंततः नाश ही करेंगे। हमें आपस में विचार करना सीखना होगा। विश्वास की भित्ति पवित्रता है और पवित्र हृदयों में विश्वास उत्पन्न होता है। पवित्र हृदय और निर्मल बुद्धि में सद्भावना का उदय होता है। सद्भावना परम आवश्यक है। सद्भावना से ही आपस का दृष्टिकोण सम्यक बनता है। सद्भावना के अभाव में तो एक-दूसरे में संदेह और भय की ही उत्पत्ति है। हम आपस में क्यों एक-दूसरे से भय करें।

छिपी हुई दूषित अथवा विशुद्ध मनोवृत्ति, व्यवहार में प्रकट हो जाती है। मनोवृत्ति को छिपा कर ऊपर से शिष्टता का व्यवहार भी बहुत देखने में आ रहा है, पर वास्तविकता छिपाए नहीं छिप सकती। हमें सबको मित्र दृष्टि से देखना चाहिए, मन में किसी प्रकार की मलिनता को स्थान नहीं देना चाहिए, पर साथ ही सचेत और सावधान भी रहना चाहिए कि कहीं

शिष्टाचार और सहयोग/१८

हमारी सरलता से ही लाभ न उठाया जाए। सतर्क और सावधान रहना चाहिए, पर मनोमालिन्य अच्छा नहीं।

सद्भावना से एक-दूसरे को ठीक-ठीक जानना और आपस में एकता उत्पन्न करना, सहानुभूति से आपस में एक-दूसरे के हृदय में प्रवेश करना और हृदयों का समन्वय करना तथा सहयोग से सामर्थ्य प्राप्त करना यह क्रम है महत्वाकांक्षा की पूर्ति का। सहयोग एक यज्ञ है। यज्ञ कभी विफल नहीं हुआ। सभी शक्तियों में सहयोग होने से एक अत्यंत महान शक्ति का उदय होता है जिससे सभी में नया उत्साह, साहस और वस्तुतः कार्यक्षमता युक्त नवजीवन उदय होता है।

शिष्टाचार और सहृदयता

सद्भावना की तरह हमारे व्यवहार में सहृदयता की भी आवश्यकता है। सच पूछा जाए तो सहृदय व्यक्ति ही सद्भावना का व्यवहार करने वाला होता है। सहृदय व्यक्ति परिचितों के साथ ही नहीं अपरिचितों से भी प्रेम पूर्ण भाषण करता है, सहानुभूति प्रकट करता है और इस प्रकार वह सबका मन आकर्षित कर लेता है। सहृदयता के बिना मनुष्य के अनेक गुण निरर्थक हो जाते हैं और उसे प्रायः मित्रहीन, एकाकीपन का जीवन ही बिताना पड़ता है।

रूखापन जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है। कई आदमियों का स्वभाव बड़ा नीरस, रूखा, शुष्क निष्ठुर, कठोर और अनुदार होता है। उनका आत्मीयता का दायरा बहुत ही छोटा और संकुचित होता है। उस दायरे से हानि-लाभ, उन्नति-अवनति, खुशी-रंज, अच्छाई-बुराई से उन्हें कुछ मतलब नहीं होता। अपने अत्यंत ही छोटे दायरे में स्त्री, पुत्र, तिजोरी, मोटर, मकान आदि में उन्हें थोड़ा रस जरूर होता है, बाकी की अन्य वस्तुओं के प्रति उनके मन में बहुत ही अनुदारतापूर्ण रुखाई होती है।

जिसने अपनी विचारधारा और भावनाओं को शुष्क, नीरस और कठोर बना रखा है, वह मानव जीवन के वास्तविक रस का आस्वादन करने से वंचित ही रहेगा। उस बेचारे ने व्यर्थ ही जीवन धारण किया और वृथा ही मनुष्य शरीर को कलंकित किया। आनंद का स्रोत सरसता की अनुभूतियों में है। परमात्मा को आनंदमय कहा जाता है। क्यों? इसलिए कि वह सरस है, प्रेममय है। श्रुति कहती है—“रसो वै सः” अर्थात् वह

शिष्टाचार और सहयोग/१९

परमात्मा रसमय है। भक्ति द्वारा, प्रेम द्वारा परमात्मा को प्राप्त करना संभव बताया गया है। निस्संदेह जो वस्तु जैसी हो उसको उसी प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। परमात्मा दीनबंधु, करुणासिंधु, रसिकबिहारी, प्रेम का अवतार, दयानिधान, भक्तवत्सल है। उसे प्राप्त करने के लिए अपने अंदर वैसी ही लचीली, कोमल, स्निग्ध, सरस भावनाएँ पैदा करनी पड़ती हैं। भगवान भक्त के वश में हैं, जिनका हृदय कोमल है, भावुक है, परमात्मा उनसे दूर नहीं है। आप अपने हृदय को कोमल, द्रवित, पसीजने वाला, दयालु, प्रेमी और सरस बनाइए। संसार के पदार्थों में जो सरसता का अपार भंडार भरा हुआ है उसे ढूँढना और प्राप्त करना सीखिए।

शिष्टाचार और सभ्यता

शिष्टाचार और सभ्यता का बड़ा निकट संबंध है। हम यह भी कह सकते हैं कि बिना शिष्टाचार के मनुष्य सभ्य कहला ही नहीं सकता और जो व्यक्ति वास्तव में सभ्य होगा उसमें शिष्टाचार की प्रवृत्ति स्वभावतः पाई जाएगी।

सभ्य पुरुष ऐसी प्रत्येक बात से अपने आपको बचाने का प्रयत्न करता है, जो दूसरों के मन को क्लेश पहुँचाने या उनमें चिढ़ या खीझ उत्पन्न करे। मनुष्य को समाज में अनेक प्रकार की प्रकृति या स्वभाव वाले मनुष्यों से संसर्ग पड़ता है। कहीं उसका मतभेद होता है, कहीं भावों में संघर्ष होता है, कहीं उसे शंका होती है, कहीं उसे उदासी, आक्षेप, प्रतिरोध या ऐसे ही अन्यान्य भावों का सामना करना पड़ता है।

सभ्य पुरुष का कर्तव्य ऐसे सब अवसरों पर अपने आपको संयम में रख सब के साथ शिष्ट व्यवहार करना है। उसकी आँखें उपस्थित समाज में चारों ओर होती हैं। वह संकोचशील व्यक्तियों के साथ अधिक नम्र रहता है और मूर्खों का भी समाज में उपहास नहीं करता। वह किसी मनुष्य से बात करते समय उसके पूर्व संबंध की स्मृति रखता है ताकि दूसरा व्यक्ति यह नहीं समझे कि वह उसे भूला हुआ है। वह ऐसे वाद-विवाद के प्रसंगों से बचता है जो दूसरों के चित्त में खीझ उत्पन्न करें। जान-बूझकर संभाषण में अपने आपको प्रमुख आकृति नहीं बनाना चाहता और न वार्तालाप में अपनी थकावट व्यक्त करता है। उसके भाषण और वाणी में मिठास होती है और अपनी प्रशंसा को वह अत्यंत संकोच के साथ ग्रहण करता है। जब तक कोई

शिष्टाचार और सहयोग/२०

बाध्य न करे वह अपने विषय में मुख नहीं खोलता और किसी आक्षेप का भी अनावश्यक उत्तर नहीं देता। अपनी निंदा पर वह कान नहीं देता न किसी से व्यर्थ हमला मोल लेता है। दूसरों की नीयत पर हमला करने का दुष्कृत्य वह कभी नहीं करता, बल्कि जहाँ तक बनता है, दूसरों के भावों का अच्छा अर्थ बैठाने का यत्न करता है। यदि झगड़े का कोई कारण उपस्थित हो भी जावे तो वह अपने मन की नीचता कभी नहीं दिखाता।

वह किसी बात का अनुचित लाभ नहीं उठाता और ऐसी कोई बात मुँह से नहीं निकालता जिसे प्रमाणित करने को वह तैयार न हो। वह प्रत्येक बात में दूरदर्शी और अग्रसोची होता है। वह बात-बात में अपने अपमान की कल्पना नहीं करता, अपने प्रति की गई बुराइयों को स्मरण नहीं रखता और किसी के दुर्भाव का बदला चुकाने का भाव नहीं रखता। दार्शनिक सिद्धांतों के विषय में वह गंभीर और त्याग मनोवृत्ति वाला होता है। वह कष्टों के सम्मुख झुकता है, कारण उनके निवारण का उपाय नहीं, दुखों को सहता है, कारण वे अनिवार्य हैं और मृत्यु से नहीं घबराता, कारण उसका आगमन ध्रुव सत्य है। चरचा या वादविवाद में दूसरे लोगों की लचर दलीलें, तीक्ष्ण व्यंग या अनुचित आक्षेपों से परेशान नहीं होता बल्कि मृदु हास्य के साथ उन्हें टाल देता है। अपने विचार में सही हो या गलत, परंतु वह उन्हें सदा स्पष्ट रूप में रखता है और जानबूझकर उनका मिथ्या समर्थन या जिद नहीं करता। वह अपने आपको लघु रूप में प्रकट करता है, पर अपनी क्षुद्रता नहीं दर्शाता। वह मानवी दुर्बलताओं को जानता है और इस कारण उसे क्षमा की दृष्टि से देखता है। अपने विचारों की भिन्नता या उग्रता के कारण सज्जन पुरुष दूसरों का मजाक नहीं उड़ता। दूसरों के विचार सिद्धांतों और मन्तव्यों का वह उचित आदर करता है।

शिष्टाचार की प्रवृत्ति बाल्यावस्था से ही डालिए

शिष्टाचार की प्रवृत्ति के इतना महत्त्वपूर्ण होते हुए भी खेद के साथ कहना पड़ता है कि अधिकांश घरों और परिवारों में उसकी ओर उचित ध्यान नहीं दिया जाता। बहुत से लोग तो यह सोचते हैं कि घर के भीतर, आपस में शिष्टाचार दिखलाने की क्या आवश्यकता है। वह तो विशेषतः बाहरी व्यक्तियों, अतिथियों के प्रति ही दर्शाना आवश्यक है, पर यह एक

शिष्टाचार और सहयोग/२१

बड़ी भ्रमपूर्ण धारणा है। अगर आपको शिष्टाचार का अभ्यास नहीं है और हम परस्पर में असभ्यता का व्यवहार और बोलचाल रखते हैं तो हम बाहरी लोगों के साथ भी संतोषजनक व्यवहार नहीं कर सकते। इसलिए माता-पिता अथवा संरक्षकों का परम कर्तव्य है कि बालकों को आरंभिक जीवन से ही शिष्टाचार का महत्त्व हृदयंगम करावें और वैसी ही शिक्षा दें।

उत्तम शिक्षण का एक उद्देश्य यह भी है कि व्यक्ति को जीवन में अच्छी आदतों से लज्जित व समलंकृत किया जावे। व्यक्ति को सुसंस्कृत बनाना उत्तम शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। किंतु दुर्देव से हमारी पाठशालाओं का शिक्षण-क्रम कुछ ऐसा है तथा हमारे घरों का वातावरण भी इतना प्रतिकूल है कि छात्र जितना अधिक पढ़ते जाते हैं उतने ही अधिक वे अविनयी व उद्धत होते जाते हैं। ज्यों-ज्यों आजकल का तथाकथित ज्ञान विद्यार्थियों के मस्तिष्क में घुसता जाता है त्यों-त्यों विनय या शील बाहर निकलता जाता है। आजकल की विद्या का नशा ठीक शराब जैसा ही है। शराब के संबंध में इटालियन लोगों में यह कहावत प्रचलित है कि शराब अंदर जाती है तो सदबुद्धि बाहर निकल जाती है। आज की शिक्षा मदिरा के प्रभाव से सदबुद्धि व उत्तम शील भाग खड़े हुए हैं। ऐसे समय में इस ज्ञान के प्रचार की कि—विद्या की शोभा विनय से है, आवश्यकता दिनोंदिन बढ़ती जा रही है।

विद्यार्थियों को विनयशील बनाने के लिए भगीरथ जैसे प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है। बल्कि यदि हम चौकन्ने रहें, असावधानी व प्रमाद को स्थान न दें, तो हमें अनेक छोटे-छोटे ऐसे अवसर प्राप्त होंगे जिनका सदुपयोग कर हम बालकों को अपनी इच्छानुसार विनय और शील संपन्न बना सकते हैं। बच्चे अविनयी इसलिए होते हैं कि न तो हम स्वयं संयत व्यवहार करते हैं और न स्वयं बच्चों को सुसंयत रखने की क्षमता रखते हैं। बच्चा हमारे सामने अपने बड़े भाई-बहिन का या स्वयं हमारा ही नाम लेता है, तो हम हँस देते हैं। हम सोचते हैं कि बच्चा शब्दों का उच्चारण करना सीख रहा है तो उसे सफल होते देख प्रसन्न हो उठते हैं। हमारा बच्चा जब अन्य बच्चे को गाली देता है या अपने से बड़े किसी व्यक्ति को छड़ी से मारता है तो उसके साहस को देखकर हमें प्रसन्नता होती है। बच्चा जब हमारी आज्ञा को टाल देता है तो हम भी आज्ञा-पालन पर जोर नहीं देते और

शिष्टाचार और सहयोग/२२

फिर जब बड़ा होकर वह पूर्णतः उच्छृंखल, निरंकुश और उद्धत हो जाता है तब हम अपने भाग्य को कोसते हैं। जो वातावरण हम उनके सामने उपस्थित करते हैं उस वातावरण में पलने वाला बालक उद्धत और अविनयी न हो तो क्या हो? दोष हमारा है और हम सदैव दैव को दोष देते हैं।

इस दयनीय परिस्थिति से त्राण पाने के लिए हमें अपने बच्चों के लिए सुंदर और स्वस्थ परिस्थिति का निर्माण करना होगा। सुंदर वातावरण व मानसिक परिस्थितियों का निर्माण शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। कारण यह है कि किसी विशेष परिस्थिति में बालकों को रखने का अर्थ है उन्हें दूसरी परिस्थितियों से साफ दूर रखना। यदि हम बालकों के लिए अच्छी परिस्थिति का निर्माण कर देंगे तो वे बिना प्रयास बुगड़ियों से बच जावेंगे। क्योंकि एक अच्छे वातावरण में रहने वाला बालक दूसरे वातावरण के कार्य कर ही नहीं सकता। उदाहरणार्थ नित्य माता-पिता को प्रणाम करने वालों के लड़के न अपने माता-पिता को गाली दे सकते हैं, न मार सकते हैं और न उनका नाम ले सकते हैं। अतएव हमें अपने बच्चों को सुंदर वातावरण में रखकर बुरे वातावरण से इतनी दूर रखना चाहिए कि बुरे वातावरण में पले व्यक्तियों जैसे आचरण करना उनके लिए कठिन हो जाय। सुंदर वातावरण में रहने से बालक अपने आप बुरे वातावरण व उसके प्रभाव से दूर रहेंगे। अतएव जो लोग चाहते हों कि उनके बच्चे विनयशील निकलें उन्हें अभी से वैसा वातावरण तैयार करने का प्रयत्न करना चाहिए। बालक के जन्म से पहले ही यह प्रयत्न होना चाहिए।

यदि दुर्भाग्यवश प्रारंभ से ही हमने वातावरण को सुधारने का प्रयत्न नहीं किया है तो भी हमें हताश नहीं होना चाहिए। जब से हम सुधार करना प्रारंभ करेंगे तब से ही हमें प्रयत्नों का फल मिलना शुरू हो जाएगा। सत् प्रयत्न कभी निरर्थक नहीं होते। कल्याणकारी कर्मों को करने वाला कभी दुर्गति को नहीं प्राप्त होता, अतएव जब से हम चेत जावें तभी से सत्प्रयत्न आरंभ कर दें। कल्पना करिए कि आप अपने माँ-बाप या अन्य गुरुजनों के नित्य प्रातःकाल चरण-स्पर्श करेंगे तो आपके बच्चे आपकी इस रीति से प्रभावित हुए बिना न रहेंगे। उनके कोमल चित्त पर अदृश्य रूप में पवित्र संस्कार जमा होते जावेंगे और बड़े होने पर वे भी आपके इस आचरण का अनुकरण करेंगे।

शिष्टाचार और सहयोग/२३

माता-पिता को प्रणाम करने का पवित्र प्रभाव आप पर भी पड़ेगा। यदि आपके गुरुजनों की धारणा आपके प्रति अभी तक अच्छी नहीं रही है तो आपके प्रणाम करने का तात्कालिक असर यह होगा कि उनकी भावनाएँ आपके प्रति शुद्ध हो चलेंगी और आपको उनका आशीर्वाद मिलना प्रारंभ हो जाएगा। यदि आपके प्रति उन्होंने कुछ गलत धारणाएँ बना ली हैं तो वे गलत धारणाएँ धीरे-धीरे काफूर हो जावेंगी और सच्चे मन से वे आपके लिए शुभकामनाएँ करेंगे जो निष्फल नहीं होंगी।

शिष्टाचार, सहयोग और परोपकार

इस प्रकार विचार किया जाए तो शिष्टाचार और सहयोग की भावना मनुष्यत्व का एक बहुत बड़ा अंग है। जो मनुष्य उसके तत्त्व को समझ लेता है वह सदैव दूसरों का सम्मान करने, उन्हें हर तरह का सहयोग देने, उनकी सेवा, उपकार करने को प्रस्तुत रहता है। क्योंकि यदि हम दूसरों के प्रति इस प्रकार का सद् व्यवहार करने की भावना नहीं रखते तो हमको भी अन्य व्यक्तियों से आवश्यकता पड़ने पर सहयोग और उपकार की आशा नहीं रखनी चाहिए। इसलिए शिष्टाचार का पालन करने वालों को सेवा और परोपकार का महत्त्व भी सदैव ध्यान में रखना चाहिए।

शिष्टाचार के इस स्वरूप को समझने वाला व्यक्ति अपरिचितों के साथ भी वैसा ही उत्तम और मधुर व्यवहार करता है जैसा कि परिचितों के साथ। क्योंकि ऐसा व्यक्ति सभी को अपना आत्मीय समझता है और आवश्यकता पड़ने पर निस्संकोच भाव से अपनी सेवाएँ प्रस्तुत करने को तैयार रहता है। यदि गंभीरतापूर्वक विचार किया जाए तो सेवा-धर्म शिष्टाचार का सर्वोत्कृष्ट और उन्नत रूप है। जब शिष्टाचार और सहयोग का भाव हमारी अंतरात्मा में समा जाता है, तब हम बिना किसी अन्य विचार के दूसरों को सुख पहुँचाना, उनकी प्रसन्नता की वृद्धि करना अपना कर्तव्य समझ लेते हैं। उस समय हम शिष्टाचार को एक भार-स्वरूप अथवा दिखावा अनुभव नहीं करते वरन वह हमारे अंतर से स्वयं ही सर्वत्र प्रसारित होने लगता है।



मुद्रक : युग निर्माण योजना प्रेस, मथुरा ।